न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

करण संख्या : 582/14

1. बन्सो कौर पत्नी मिटू सिह जाति बावरी निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रार्थीया--

बनाम

1. राजू पुत्र मिटू सिह जाति बावरी निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
2. रेशमा पुत्री मिटू सिह जाति बावरी निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
3. लखवीर कौर पत्नी स्व0 बलवीर सिह पुत्र मिठठू सिह जाति बावरी निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर।

3/1 करण पुत्र बलवीर सिह नाबालिग जरिये कुदरतवली माता लखवीर कौर पत्नी स्व0 बलवीर सिह पुत्र मिठठू सिह जाति बावरी निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर।

3/2 कोमल पुत्री बलवीर सिह नाबालिग जरिये कुदरतवली माता लखवीर कौर पत्नी स्व0 बलवीर सिह पुत्र मिठठू सिह जाति बावरी निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर।

3/3 राहुल पुत्र बलवीर सिह नाबालिग जरिये कुदरतवली माता लखवीर कौर पत्नी स्व0 बलवीर सिह पुत्र मिठठू सिह जाति बावरी निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 27/3/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 43/42 के मु0 नं0 43 मे 6.074 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि मे प्रार्थीया के पति मिठठू सिह पुत्र इन्द्र सिह के नाम 3.037 हैक्टर रकवा दर्ज है। प्रार्थीया के पति की दिनांक 18.12.2015 को मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीया के पति ने अपने जीवन काल मे दिनांक 06.08.2014 को अपनी 3.037 हैक्टर भूमि मे से प्रार्थीया के हक मे 1.265 हैक्टर भूमि की दस्तबरदारी निष्पादित करवाकर कब्जा प्रार्थीया को सौप दिया था। दस्तबरदारी की रूह से इस 1.265 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के हक मे न्यायगत हो चुकी है। जिसको वह अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है। मिठठ सिह की इस 3.037 हैक्टर भूमि मे से 1.265 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थीया को दस्तबरदारी से प्राप्त हो चुकी है। मिठठू सिह की शेष 1.772 हैक्टर भूमि की मिठठू सिह के द्वारा अपने जीवनकाल मे कोई वसीयत निष्पादित नही करवाई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मिठठू सिह के नाम दर्ज 1.772 हैक्टर भूमि मिठठू सिह के वारिसान अर्थात प्रार्थीया व प्रतिवादी संख्या 3 मे 1/4-1/4 हिस्सा न्यायगत हुई। इस प्रकार मिठठू सिह के नाम दर्ज 1.772 हैक्टर भूमि मे से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.443 हैक्टर भूमि प्रार्थीया को विरास्तन न्यायगत हुई है जिसे प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। इस दस्तबरदारी का इन्तकाल प्रार्थीया के पक्ष मे दर्ज नही हो पाया क्योकि प्रार्थीया को कानून का ज्ञान नही था। प्रार्थीया के पति की मृत्यु हो चुकी है और प्रार्थीया मृतक मिठठू सिह की जायज वारिस है। प्रार्थीया को जरिये दस्तबरदारी दिनांक 06.08.2014 से 1.265 हैक्टर भूमि तथा बतौर वारिस मृतक मिठठू सिह की शेष 7 बीघा भूमि मे से 1/4 हिस्सा यानि 0.443 हैक्टर भूमि कुल 1.708 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थीया को न्यायगत हो चुकी है जिस पर प्रार्थीया का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। चक 3 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 22/2 के मु0 नं0 56 व 57 की कुल 6.325 हैक्टर भूमि मे से मृतक मिठठू सिह के नाम 0.316 हैक्टर भूमि दर्ज है जिसमे से प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.079 हैक्टर भूमि बनती है जिसे प्रार्थीया अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है। चक 3 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 23/3 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मु0 नं0 45 की 3.163 हैक्टर भूमि मे से मृतक मिठ्ठू सिह के नाम 0.633 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसमे प्रार्थीया की 1/4 हिस्सा अर्थात 0.158 हैक्टर भूमि बनती है जिसे प्रार्थीया अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है। इस प्रकार प्रार्थीया मृतक मिठ्ठू सिह की ऊपर वर्णितनुसार भूमि मे से दस्तबरदारी से प्राप्त 1.265 हैक्टर भूमि एवं विरास्तन प्राप्त 0.443 हैक्टर एवं 0.079 हैक्टर एवं 0.158 हैक्टर कुल 1.945 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने की अधिकारी है। इस भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को इस भूमि को प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने को कहा तो उन्होने टालमटोल कर दी एवं दावा दायरी से दो दिन पूर्व साफ इन्कार कर दिया एवं कहा कि हम तुम्हे यह भूमि नही देगे एवं समस्त भूमि अपने नाम करवाकर तुम्हे बेदखल कर इस भूमि को खुर्द बुर्द कर देगे यदि उन्होने ऐसा किया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टय मामला सुविधा का सतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थीया के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 3 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता सख्या 43/42 के मु0 न0 43 के 6.074 हैक्टर भूमि मे से मृतक मिठ्ठू सिह के नाम दर्ज 3.037 हैक्टर नहरी भूमि खाता संख्या 22/2 के मु0 नं0 56 एवं 57 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी भूमि मे मृतक मिठ्ठू सिह के नाम दर्ज 0.316 हैक्टर एवं खाता संख्या 23/3 के मु0 नं0 45 की 3.163 हैक्टर भूमि मे से मृतक मिठ्ठू सिह के नाम दर्ज 0.633 हैक्टर भूमि मे से इस प्रकार तीनो खातो मे मृतक मिठ्ठू सिह के नाम दर्ज भूमि मे से दस्तबरदारी से प्राप्त 1.265 हैक्टर भूमि एवं विरास्तन प्राप्त 0.443 हैक्टर एवं 0.079 हैक्टर एवं 0.158 हैक्टर कुल 1.945 हैक्टर भूमि जिस पर प्रार्थीया का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है के संबंध मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 किसी प्रकार की देखलअन्दाजी नही करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,3,3/1,3/2,3/3 की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीए के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया। प्रार्थीया के द्वारा पत्रावली मे पेश दस्तवरदारी पंजीकृत है एवं मृतक मिठ्ठू सिह के वारिसानामा मे प्रार्थी का नाम बतौर पत्नी दर्ज है। प्रार्थीया को मृतक मिठ्ठू सिह की भूमि मे से कोई हक या हिस्सा प्राप्त होना है या नही यह तथ्य मूल वाद मे तय होना है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे बनना पाया जाता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे दिनांक 06.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27/3/2019....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मेसुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) — seal)

Reni

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.ए}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner